Mamta Sharma
CHAIRPERSON
Phone : 23230785, 23236204 (O)
Fax : 23236270

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राष्ट्रीय महिला आयोग
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग
नई दिल्ली-110 002
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN
4, DEEN DAYAL UPADHYAYA MARG
NEW DELHI–110 002
Website : www.ncw.nic.in
E-mail : chairperson-ncw@nic.in

6 फरवरी, 2014

संदेश

मुझे यह जानकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि "**मानवाधिकार मिशन**" समाज के कमजोर और असहाय लोगों को उनके अधिकारों के प्रति सजग बनाने में सराहनीय कार्य कर रही है | हमारे देश में अनेक भागों में अभी भी अधिकांश ग्रामीण जनता पिछड़ी और गरीब है तथा अपने अधिकारों व कर्तव्यों के प्रति अनभिज्ञ है और अनेक स्तरों पर उनका शोषण होता रहा है | मानवाधिकार मिशन इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संघर्षरत एवं संकल्पित है | मिशन समाज में हो रहे मानवाधिकार हनन व महिलाओं के प्रति उत्पीड़न को समाप्त करने में अहम भूमिका अदा कर रहा है |

मानवाधिकार मिशन द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2014 को सिलवासा (दादर नगर हवेली) में **मानव अधिकार एवं महिला अधिकार जागरूकता सम्मलेन** का आयोजन किया जा रहा है | इस अवसर पर **मानवाधिकार मिशन** अपनी एक पुस्तिका "**जानिए अपने महिला अधिकार**" का भी प्रकाशन करने जा रही है जिसमें महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजग एवं जागरूक रहने तथा आज के समय में समाज में उनकी पुरुषों की अपेक्षा अधिक भूमिका एवं जिम्मेदारियों का संक्षिप्त विवरण है और समाज में फैली कुरीतियों को दूर करने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही है | मुझे पूर्ण आशा है कि यह पुस्तिका सभी के लिए अत्यंत उपयोगी साबित होगी

मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह संस्था अपनी नई ऊचाईयों को प्राप्त करेगी और अपने उद्देश्य की ओर अग्रसर होगी | मैं पुस्तिका के प्रकाशन के अवसर पर मानवाधिकार मिशन के अध्यक्ष डा. महेन्द्र शर्मा तथा अन्य पदाधिकारियों को अपनी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती हूं |

ममता शर्मा

(ममता शर्मा)

दो शब्द

मानवाधिकार मिशन (रजि.) एक गैर-राजनैतिक सामाजिक संगठन है जोकि राष्ट्रीय स्तर पर सभी प्रदेशों में कार्यरत है | यह संगठन भारत सरकार द्वारा सोसायटी एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत है जिसका मुख्य उद्देश्य समाज से मानवाधिकार हनन एवं अपराध खत्म करने में सरकार को सहयोग देना है तथा समय-समय पर परेशान जनता विशेषकर ग्रामीण महिलाओं की कानूनी मदद करना है |

यद्यपि महिलाओं के उत्थान के लिए केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं परन्तु वस्तुस्थिति यह है कि अभी तक नारी-जगत में जागृति का पूरा संचार नहीं हो पाया है | किसी भी दिन का समाचार-पत्र महिलाओं के प्रति अपराध, क्रूरता और घिनौनी हरकतों के समाचारों से रहित नहीं रहता और महिलाओं के प्रति अपराधों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि हो रही है तथा उनका शोषण और उत्पीड़न निरंतर जारी है |

मानवाधिकार हनन के छोटे-छोटे मामले और अपराध समाज को अन्दर ही अन्दर खोखला कर रहे हैं तथा इसका बुरा असर हमारी आने वाली भावी पीढ़ी पर पड़ रहा है | कोई भी समाज व देश तब तक प्रगति नहीं कर सकता जब तक इसकी आधी जनसंख्या के संबंध में असमानता विद्यमान हो | मिशन महिला अधिकार वंचन के मामलों में विशेष ध्यान दे रहा है ताकि असहाय महिलाओं को कानूनी या अन्य सहायता प्रदान की जा सके | इसके साथ-साथ मिशन महिलाओं के भरण-पोषण, विवाह की समस्याएं और समाधान, यौन उत्पीड़न के विषय और उनसे संबंधित कानूनी जानकारी देने में तत्पर है |

आप सभी से अनुरोध है कि देश और समाज में मानवाधिकार हनन रोकने के लिए मानवाधिकार मिशन के सदस्य बने तथा भावी पीढ़ी को मानवाधिकार हनन के प्रति जागरूक बनाने में हम सब मिलकर कार्य करें जिससे कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समानता तथा राष्ट्र निर्माण में समान भागीदारी को प्राप्त किया जा सके |

(डा. महेन्द्र शर्मा)
राष्ट्रीय अध्यक्ष

16 fnlcj]2012 dh Hk;kud jkr

16 दिसंबर, 2012 की भयानक काली रात ने एक ऐसा मंजर देखा जिसे सुनकर मानवता सिहर उठी, इंसानियत के रोंगटे खडे हो गए। सारा विष्व इस घटना को सुनकर स्तम्भित रह गया। इस घटना के बाद भारत सरकार ने महिला कानूनों में संषोधन के लिए वर्मा कमेटी नियुक्त की, जिसकी सिफारिषें आने के बाद महिला कानून में नए ढंग से संषोधन हुआ और राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद यह कानून बन गया। हालांकि ये बातें आपसे अंत में करनी चाहिए थीं, परंतु इन बातों को यहां पुस्तक आरम्भ होने से पहले देने का मेरा उद्‌देष्य यह है कि वर्तमान संषोधित कानून के सापेक्ष हम महिला कानून का विस्तार से जानें और समझें। तथा कुछ ऐसे शब्दों से भी परिचित हो जाएं जो महिलाओं के संबंध में बिल्कुल नऐ कानूनी शब्द हैं। सेक्सुअल अफेंस और रेप से संबंधित तमाम मामलों में सजा बढाने को लेकर की गई वर्मा कमेटी की सिफारिषों को कुछ संषोधन के बाद सरकार ने मंजूरी दे दी लेकिन साथ ही बलात्कार के वैसे मामले जिसमें पीडिता की मौत हो जाए या वह कोमा में चली जाए ऐसे मामलों में फांसी की सजा देने की बात कही गई है। कानून के विषेषज्ञ बताते है कि नऐ कानून से सेक्सुअल आफेंस से संबंधित मामलों में सजा बढाने की बात है तो कई नए कानून की बात कही गई है। विषेषज्ञ यह भी बताते है कि कानून लागू करना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि बालात्कारी को मौत की सजा देने की बात वर्मा कमेटी की सिफारिषों में नहीं थी, लेकिन केंद्र सरकार नें जनता के गुस्से को देखते हुए इसे बाद में अलग से जोडा है। वर्मा कमेटी ने रेप के इस तरह के मामले में 20 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्रकैद (मरते दम तक जेल में) की सिफारिष की थी।

Kku t:jh gS

ज्ञान जरूरी है,

उन कानूनों का,

जो महिलाओं का रक्षण करता है,

जो आताताइयों का भक्षण करता है,

जो मुक्त करता है आपको,

सदियों की गुलामी से,

उस कानून का

ज्ञान जरूरी है।

अपने आर्थिक अधिकारों

को पाने के लिए,

सामाजिक व्यवस्था में,

अपना स्थान बनाने के लिए,

जो देता है आपको समान श्रम

पर समान पारिश्रमिक का अधिकार,

उस कानून का

ज्ञान जरूरी है।

जो गर्भ में मारी जा रही

बच्चियों को बचाता है,

जो नारी को उसका खोया हुआ

सम्मान दिलाता है,

जो मुक्त करता है आपको

घरेलु हिंसा से,

उस कानून का

ज्ञान जरूरी है।

vat yh "kekZ

महिलाओं के अधिकार

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहां देवता बसते है। पूजा का अर्थ सम्मान से है। तातपर्य यह है कि जहां स्त्री का सम्मान होता है, वहां सुख एवं समृद्धि का वास होता है। स्त्री से ही घर, परिवार, समाज बनता है और देश तरक्की करता है। स्त्री बेटी, बहन, पत्नी मां भी है और देवी भी।

वर्तमान में विश्व की जनसंख्या का लगभग आधा भाग महिलाओं का है। आज महिलाऐं डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, जज. पुलिस अधिकारी, उद्योगपति, प्रशासनिक अधिकारी, विमान परिचारिका आदि सभी पदों पर कुशलता के कार्य कर रही है। वे पुरूषों से कम नहीं हैः लेकिन हर तरह से आगे बढने एवं तरक्की करने पर भी महिलाओं पर अत्याचार एवं शोषण जारी है। उनका शारीरिक एवं मानसकि शोषण आज भी हो रहा है। वर्तमान में भी उनके नैसर्गिक मानवीय अधिकारों का शोषण जारी है। आज भी बहुत सी महिलाएँ अशिक्षित है। और अपने अधिकारों से अनजान है।

महिला अधिकारों के हनन एवं शोषण के प्रकार

विश्व में महिलाओं के अधिकारों का हनन एवं शोषण निम्नलिखित प्रकार से हो रहा है–

1. दहेज द्वारा महिलाओं का शोषणः–महिलाओं के अधिकारों के हनन का प्रमुख कारण देहज के लिए पति या उसके परिवार द्वारा विभिन्न तरीकों से परेशान करना है। दहेज के लिए महिलाओं की हत्या, उन्हें जलाया जाना आम बात हो गई है दहेज वास्तव में समाज का कोढ़ है। सभ्यता के नाम पर लगा बदनुमा दाग है। इसकी वजह से विवाह जैसा पवित्र बंधन आज व्यापार बन गया है और विवाह जैसी पवित्र सामाजिक परंपरा निरंतर विघटित होती जा रही है।

2. **भ्रूण–हत्या द्वारा महिलाओं का शोषणः** भ्रूण–हत्या के माध्यम से लड़कियों को जन्म लेने से पूर्व भ्रूण में ही, खत्म कर दिया जाता है। अर्थात महिलाओं को जन्म लेने के अधिकार से ही वंचित

कर दिया जाता है। भ्रूण – हत्या के परिणामस्वरूप ही आज विश्व के सभी देशों में महिलाओं का प्रतिशत दिन– प्रतिदिन घटता जा रहा है।

3. **बलात्कार द्वारा महिलाओं का शोषण :** बलात्कार महिलाओं के साथ हुआ सर्वाधिक जघन्य अपराध है। वर्तमान में बलात्कार के मामले हर साल बढ़ते जा रहे है। भारत में प्रत्येक 47 वे मिनट पर एक महिला के साथ बलात्कार होता है। बालात्कार के अलावा लैंगिक शोषण भी आम है, जो महिला कर्मचारी का मालिक द्वारा महिला कैदी का जेल– कर्मयों द्वारा, महिला श्रमिकों का ठेकेदारों द्वारा और महिला मरीजों का अस्पताल कर्मियों द्वारा होता है।

4. **वेश्यावृति एंव देह व्यापार द्वारा महिलाओं का शोषणः** वेश्यावृति सभ्य समाज के माथे पर चांद के दाग से भी अधिक गहरा दाग है, जो कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता : क्योंकि गरीबी, भुखमरी व लाचारी ने महिलाओं को वेश्यावृति के इस जघन्य कृत्य में ऐसा जकड़ा है कि वे चाहकर भी इससे निकल नही पाती।

5. **घरेलू हिंसा द्वारा महिलाओं का शोषणः** घरेलू हिंसा द्वारा जितना महिलाओं का शोषण होता है उतना अन्य किसी । महिलाओं से घरेलू का सर्वाधिक बुरा प्रभाव महिला के स्वास्थ्य पर पडता है। घरेलू हिंसा द्वारा महिलाओं पर कभी–कभी तो इतने अधिक अत्याचार होते है। कि महिला या तो पागल हो जाती है या फिर जान से हाथ धो बैठती है। सारे विश्व में परिवार , जाति, धर्म और सम्मान के नाम पर महिलाओं की उनके पतियों द्वारा हत्या की जा रही है।, जिसे ' ऑनर किलिंग' के नाम से जाना जाता है। हर साल लगभग 5,000 ऐसे मामले सामने आते है।

6. **कामकाजी महिलाओं का शोषणः** सभी कामकाजी महिलाओं के समक्ष उनकी सुरक्षा की समस्या आड़े आती है। जिस तेजी से महिलाऐं बाहर निकली हैं, उसी तेजी से उनकी असुरक्षा बढ़ी है। आज महिलाओं से छेड़छाड़, उनका अपहरण एवं बलात्कार जैसी घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। इन घटनाओं से पैदा हो रही परेशानियों से निजात दिलाने एवं उनकी सुरक्षा की गारंटी हेतु आज तक कोई ठोस उपाय नहीं हुए है।

7. **आंतकवाद द्वारा महिलाओं का शोषणः** आज विश्व मे कई आतंकवादी संगठन है, जिनमें महिलाऐं भी शामिल है। भुखमरी, गरीबी और शोषण की शिकार महिलाऐं इन आतंकी संगठनों के जाल में फंस जाती है। इन महिलाओं का उपयोग मानव बम के रूप में भी किया जा रहा है। मानव बम के रूप में इस्तेमाल होने के अलावा इन महिलाओं को खबरें इधर–उधर भेजने, जासूसी करने हथियार छिपाकर इधर–उधर पहुंचाने, बम फेंकने आदि काम भी करने पड़ते है। एक बार जो महिला इनके चंगुल में फंस जाती है। उसका बचकर निकलना असंभव होता।

विश्व स्तर पर महिला अधिकारों के विकास का घटनाक्रम

1792	:	आधुनिक नारीवादी आंदोलन की संस्थापक मेरी वुल्स्टन क्रैप्ट की महिला अधिकारों पर पुस्तक' विंडीकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वीमन 'प्रकाशित हुई।
8 मार्च 1857	:	न्यूयॉर्क शहर के लोअर ईस्ट इलाके में शोषण एवं बदहाली से त्रस्त महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए 8 मार्च, 1857 को बगावत की। इसी दिन से प्रतिवर्ष 8 मार्च को विश्व भर में महिला दिवस मनाया जाता है।
1869	:	महिला अधिकारों पर जे0एस0मिल की पुस्तक सब्जेक्शन ऑफ वीमन प्रकाशित हुई।
1890	:	अमेरिका में राष्ट्रीय महिला संगठन की स्थापना हुई।
1901	:	ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ ।
1903	:	फ्रांस की मैडम क्यूरी नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला बनीं।
1908	:	अमेरिका में इंटरनेशनल वीमन राईटस इलायंस की स्थापना हुई।
1913	:	नॉर्वे में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ।
1916	:	कनाडा में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ।
8 मार्च, 1971	:	सोवियत संघ (रूस) में रोटी और अधिकार के नारों के साथ स्त्रियों ने अक्तूबर क्रांति की अगुआई की।

1917	:	भारत में वीमन इंडियन एसोसिएशन ' अर्थात् भारतीय महिला संघ की स्थापना।
1918	:	ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त (जबकि वयस्क मताधिकार 1928 में प्राप्त) हुआ।
1920	:	अमेरिका में 19 वे संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ।
1927	:	भारत में आलॅ इंडिया वीमन लीग की स्थापना हुई
8 मार्च, 1937	:	स्पेन में महिलाओं ने दमनकारी शासन के विरोध में प्रदर्शन किया।
8 मार्च, 1943	:	इटली में मुसोलिनी की तानाशाही का महिलाओं द्वारा विरोध किया गया।
1945	:	इटली में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त।
1946	:	संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्टेट्स ऑफ वीमन' के नाम से महिलाओं के लिए कमीशन का गठन किया गया।
10 दिस्ंबर,1948	:	संयुक्त राष्ट्र सहासभा ने 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा–पत्र स्वीकार किया। घोषणा–पत्र के कई अनुच्छेदों में महिला अधिकारों का जिक्र है।
1952	:	विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में श्रीलंका में भंडारनायके चुनी गई।
दिसंबर 1966	:	संयुक्त राष्ट्र समहासभा द्वारा नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा तथा आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा दिसंबर 1966 में स्वीकार की गई : जबकि दोनों प्रसंविदाएं 1976 में लागू हुई। प्रसंविदाओं के कई अनुच्छेद महिला अधिकारों में संबंधित है।
7 नवंबर, 1967	:	महासभा ने महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति की प्रसंविदा अंगीकृत की।
1971	:	स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ।

1974	:	फ्रांस की सीमोन द बुआ नारी – मुक्ति आंदोलन की अध्यक्ष चुनी गई
8 मार्च, 1974	:	वियतनामी महिलाऐं अमेरिका साम्राज्यवाद के आक्रमण के खिलाफ बाहर आई।
1975	:	महिलाओं के उत्थान हेतु ' अंतरराष्ट्रीय शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई।
जून 1975	:	पहला विश्व महिला सम्मेलन जून 1975 में मेक्सिकों में आयोजित किया गया।
1975	:	वर्ष 1975 अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया।
1975–85	:	महिलाओं के लिए ' संयुक्त राष्ट्र दशक' के रूप में मनाया गया।
1976	:	महिलाओं हेतु ' संयुक्त राष्ट्र विकास निधि' की स्थापना की गई। ?
1978	:	ईरान में नारी आंदोलन की नींव डाली गई। परदा प्रथा को जबरदस्ती लादने के विरोध में महिलाओं ने मोरचा निकाला।
दिसंबर 1979	:	महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 1979 को स्वीकृत की गई और सितंबर 1981 में लागू हो गई
जुलाई 1980	:	द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन कोपेनहेगन (डेनमार्क) में आयोजित किया गया।
1981: वर्ष1991	:	दक्षेस बालिका वर्ष के रूप में तथा 1991 – 2000 दक्षेस बालिका दशक के रूप में मनाया गया।
जुलाई 1985	:	तृतीय विश्व महिला सम्मेलन नैरोबली (कीनिया) में आयोजित हुआ।
1992	:	भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन हुआ।
1992	:	भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए (एक तिहाई) आरक्षण की व्यवस्था की गई।
1994	:	रूस में वीमन ऑफ एशिया नामक आंदोलन की नीवं रखी गई।
सितंबर 1995	:	चौथा विश्व महिला सम्मेलन पेइचिंग (चीन) में आयोजित किया गया।

7 अक्तूबर 1999	:	महिलाओं के विरूद्ध सभी प्राकर के भेदभाव की समाप्ति की प्रसंविदा पर ऐच्छिक प्रोटोकॉल संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अक्तूबर 1999 में अंगीकृत किया गया और यह प्रोटोकॉल 2001 में लागू हो गया।
2001	:	भारत में वर्ष 2001 ' महिला सशक्तीकरण वर्ष के रूप में मनाया गया।
2002	:	अंतर संसदीय संघ द्वारा वर्ष 2002 में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में कुल सांसदों में महिलाओं का मात्र 14.7 प्रतिशत है।
2003	:	विश्व में सर्वाधिक महिलाओं का संसदीय प्रतिनिधित्व मध्य अफ्रीकी कबाइली देश रवांडा में है। रवांडा में महिला सांसदों का कुल 56.3 प्रतिशत है।
2005	:	बँगलादेश में महिलाओं के लिए संसद् में कुल 300 सीटों में से 45 सीटें आरक्षित की गई हैं।
2005	:	कुवैत में महिलाओं को मताधिकार प्राप्त हुआ।
2005	:	ऐंजेला र्केल जर्मनी की प्रथम महिला चांसलर बनीं।
2005	:	ऐलन जॉहन्सन सरलीफ (लाईबेरिया) अफ्रीका में राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होनेवाली प्रथम महिला बनी।
2005	:	भारत में घरेलू हिंसा से महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करनेवाल 'घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 पारित।
2006	:	जासेम अलकावीर (बहरीन) किसी खाड़ी देश में महिला न्यायाधीश नियुक्त होने वाली प्रथम महिला बनीं।

संयुक्त राष्ट्र संघ एवं महिला आधिकार

संयुक्त राष्ट्र के चार्टर की प्रस्तावना में कहा गया है कि हम संयुक्त राष्ट्र के लोग मूलभूत मानवाधिकारों में मानव की गरिमा और महत्व में तथा स्त्री–पुरूष के समान अधिकारों में आस्था व्यक्त करते है। इस प्रकार चार्टर में महिलाओं की समानता के अधिकार की घोषणा की गई है।

महिलाओं की हैसियत पर आयोग (द कमीशन ऑन द स्टेट्स ऑफ वीमेन)

यह आयोग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद् द्वारा वर्ष 1946 में स्थापित किया गया। आयोग समूचे विश्व में महिलाओं की समान्ता की दिशा में की गई प्रगति की जाँच एवं राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्रों में स्त्रियों के अधिकारों के बढ़ाने के लिए सिफारिश करता है। वर्तमान में आयोग के 45 सदस्य हैं। आयोग ने समस्त विश्य में महिलाओं की स्थिति के सम्बंध में आँकड़े एकत्रित किए तथा मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तैयार करने में मदद की।

मानवाधिकारो ंका सार्वभौमिक घोषणा – पत्र एवं महिला अधिकार

मानवाधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा – पत्र के कई अनुच्छेदों में महिला अधिकारों का उल्लेख मिलता है।, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं–

अनुच्छेद 2: इस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति इस घोषणा–पत्र में वर्णित सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का हकदार हे। इसमें मूल वंश, वर्ण, लिंग धर्म, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार घोषणा–पत्र में महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के अधिकारों की प्राप्ति का हकदार माना गया है।

अनुच्छेद 16(1) इस अनुच्छेद के अनुसार वयस्क पुरूषों और स्त्रियों को मूल वंश, राष्ट्रीयता या धर्म के कारण किसी सीमा के बिना विवाह करने और कुटंब सीमित करने का अधिकार है। इसके माध्यम से महिलाओं को अपनी पसंद एंव इच्छा अनुसार विवाह करने का अधिकार प्राप्त है।

अनुच्छेद 23(1) : प्रत्येक व्यकित को किसी भेदभाव के बिना, समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार है, अंथात् समान कार्य के लिए स्त्रियाँ एवं पुरूष दोनो को समान वेतन दिया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।

अनुच्छेद 26(1) प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है, जो कम –से कम प्रारंभिक और मौलिक आधार में निः शुल्क होगा। इस प्रकार घोषणा–पत्र में समाज के प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हैः चाहे वह स्त्री हो या पुरूष।

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा एवं महिला अधिकार

नागरिक और राजनीतिक अधिकारों अंतरराष्ट्रीय प्रसंविदा को संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने दिसंबर 1966 में स्वीकृति दी और यह प्रसंविदा 23 मार्च, 1976 को लागू हो गई। प्रसंविदा के कई अनुच्छेद महिला अधिकारों से संबंधित हैं , जिनमें प्रमुख इस प्रकार हैं–

अनुच्छेद 2 : इसके अनुसार सभी राज्य अपने क्षेत्र में इस प्रसंविदा में स्वीकृत अधिकरों को बिना प्रजाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव किए अधिकारों का सम्मान करने का वचन देते है। ?

अनुच्छेद 3 : प्रसंविदा में दिए गए सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकारों का लाभ उठाने के लिए पुरूष व स्त्रियों को समान अधिकार होंगे।

अनुच्छेद 23ः विवाह योग्य आयु के पुरूष व स्त्रियों के विवाह करने और कुटुंब बनाने के अधिकार को मान्यता दी जाएगी।

इसी प्रकार के प्रावधान आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों की प्रसंविदा में भी किए गए हैं।

महिलाओं हेतु 'संयुक्त राष्ट्र विकास निधि (यूनाइटेड नेशंस डेबलपमेंट फंड फॉर वीमेन)

यह एक स्वैच्छिक निधि है, जो महिलाओं के मानवाधिकारों, उनके आर्थिक व राजनीतिक सशक्तीकरण और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करनेवाले नए ढंग के कार्यक्रमों का समर्थन एवं उन्हें तकनीकी सहायता देती है। महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास निधि तीन प्रमुख क्षेत्रों में कार्य करती है, जो इस प्रकार है–

1. शासन, नेतृत्व और निर्णय– प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना।
2. विकास को अधिक समानतापूर्ण बनाने के लिए महिलाओं के मानवाधिकारों को बढ़ावा देना।
3. उद्यमियों तथा उत्पादकों के रूप में महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत बनाना।

<u>अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष व दशक की घोषणा</u>

महिलाओं के विकास के संदर्भ में सारे विश्व में महिला उत्थान और विकास के प्रति चेतना जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष' घोषित किया। इसके तीन उद्‌देश्य स्पष्ट किए – सर्वप्रथम, पुरूष और महिलाओं को समानता का दर्जा देना। द्वितीय विश्व शांति – सथापना की दिशा में महिला सहयोग प्राप्त करना एवं तृतीय, विकास कार्ये में स्त्रियों का योगदान। अंतररष्ट्रीय महिला वर्ष को ट्रिब्यून के नाम से भी जाना जाता है। इसमें प्रथम विश्व कार्य – योजना बनाई गई और महिला समानता के लिए महिला दशक (1975–1985) की घोषणा की गई। महिला वर्ष के कार्यक्रमों को नई दिशा और सहयोग के बिंदुओं पर बल देते हुए इसके निम्नलिखित कार्यक्रम बनाए गए, जो इस प्रकार हैं–

1. महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का मानव न समझकर एक समान मानव समझा जाना चाहिए।
2. महिला के साथ जन्मजात, जातिगत, धर्म, राष्ट्रगत भेदभाव नहीं होना चाहिए।
3. सामाजिक अन्याय समाप्त होना चाहिए।
4. देश व समाज के निर्माण में महिलाओं की आधिकारिक साझेदारी होनी चाहिए।
5. विश्व – शांति में महिलाओं की आधिकारिक साझेदारी सुनिश्चित होनी चाहिए।
6. महिलाओं को पुरूष के समान दर्जा प्राप्त होना चाहिए।

महिलाओं के विरूद्व सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 नवंबर, 1967 को महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव की समाप्ति की घोषणा अंगीकृत की और घोषणा में प्रस्तावित सिद्धांतों के कार्यान्वयन के लिए महिलाओं के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव की समाप्ति पर प्रसंविदा महासभा द्वारा 18 दिसंबर , 1979 को अंगीकृत की गई और यह सितंबर 1984 से प्रभावी हो गई। जून 2006 तक 183 देश इस प्रसंविदा पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। भारत ने 9 जुलाई, 1993 को इस प्रसंविदा का समर्थन किया। प्रसंविदा में प्रस्तावना सहित कुल 30 अनुच्छेद को समान अधिकार प्रदान करने के उपायों को सभी देशों द्वारा वैधानिक रूप से स्वीृति प्राप्त एवं बाध्यतापूर्ण अभिलेख है।

<u>यह प्रसंविदा एक ऐसा सर्वमान्य दस्तावेज है, जो –</u>

- महिलाओं के विरूद्ध किए जानेवाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकारों से कानून बनवाना।
- भेदभाव को पैदा करनेवाले या बढ़ावा देनेवाली सामजिक एवं सांस्कृतिक स्थितियों को परिवर्तित करने के लिए योजनाएँ लागू करना।
- महिलाओं की वैवाहिक परिस्थित को देख बिना सभी क्षेत्रों, जैसे समाजिक, आर्थिक सांस्कृतिक राजनीतिक एवं नागरकि में महिलाओं को समान अधिकार प्रदान करने की मुहिम चलाना।
- पुरूषों एवं महिलाओं में बराबरी लाने के लिए स्थायी व अस्थायी तौर पर उपाय सुझाना।
- महिलओं को मुख्यधारा से बाहर रखने की प्रवृतियों पर रोक लगाना।
- महिलाओं के सभी प्रकार के व्यापार और उनकी वेश्यावृति से शोषण को समाप्त करने के लिए विधि–निर्माण सहित सहित सभी उपयुक्त उपाय करना।

इस तरह प्रसंविदा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी सरकारां व देशों को यह सोचने समझने के लिए बाध्य करती है कि यदि वे लोक – कल्याणकारी राज्य का अपना स्वरूप बनाए रखना चाहते है। तो उन्हें राजनीतिक एवं सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के लिए समान अधिकारों की व्यवस्था करनी होगी।

विश्व के प्रमुख देशों के संविधानों के अंतर्गत महिलाओं के अधिकार

1. **भारत अनुच्छेद 14–32** (1950) इन अनुच्छेदों द्वारा महिलाओं को कई अधिकार प्राप्त हैं, जिनमें प्रमुख हैं– समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एवं शिक्षा सम्बंधी अधिकार आदि।

अनुच्छेद 39 (घ) इस अनुच्छेद के तहत स्त्री – पुरूष दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था की गई है।

अनुच्छेद 42 महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता का अधिकार।

2. **क्यूबा अनुच्छेद 46 (1976)** महिला एवं पुरूष को आर्थिक, राजनीतिक, समाजिक एवं पारिवारिक विषयों में समान अधिकार प्राप्त हैं।

3. **तुर्की अनुच्छेद 41 (1982)** राज्य का कर्तव्य है कि वह परिवार के कल्याण और नियोजन के लिए महिलाओं एवं पुरूष को शिक्षा प्रदान करे।

4. **चीन अनुच्छेद 49 (1982)** पति – पत्नी को परिवार नियोजन को व्यवहार में लाने का आदेश दिया गया है।

5. **दक्षिण कोरिया अनुच्छेद 36** विवाह एवं पारिवारिक जीवन के लिए **(1987)** महिला एवं पुरूष को समान अधिाकर।

6. **ब्राजील अनुच्छेद 226 (1989)**महिला एवं पुरूष दोनों अपने परिवार नियोजन को निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र।

7. **पुर्तगाल अनुच्छेद 67(1989)** राज्य का कर्तव्य है कि वह महिला एंव पुरूषों के लिए यह अधिकार प्रदान करे कि वह परिवार नियोजन की ज्यादा से –ज्यादा जानकारी प्राप्त करें।

8. **अल्जीरिया अनुच्छेद 28 (1989)** सभी नागरिक कानून के सामने समान हैं चाहे वह महिला हो या पुरूष।

9. **कोलंबिया अनुच्छेद 43 (1992)** महिलाओं को समाज में पुरूष के समान स्तर प्राप्त है।

10. **यूक्रेन अनुच्छेद 25 (1994)** महिला एवं पुरूष को समान अधिकार प्राप्त।

11. **हंगरी अनुच्छेद 66 (1994)** महिलाओं एवं पुरूषों को सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में समानता की गारंटी प्रदान की गई है।

12. **अजरबैजान अनुच्छेद 25 (1995)** महिला एवं पुरूष को समान अधिकार प्राप्त।

13 **पॉपुआ न्यू गिनी अनुच्छेद** 2 **(1995)** विवाह के बारे में महिला एंव पुरूष को समान अधिकार प्राप्त।

14 **बेलारूस अनुच्छेद 32 (1996)** पति एवं पत्नी को परिवार में समान अधिकार।

महिला अधिकारों की जागृति हेतु विश्व महिला सम्मेलन

महिला कल्याण की भावना को सर्वोपरि मानते हुए संयुक्त राष्ट्री संघ की पहल से विश्व स्तर पर महिला अधिकारों की जागृति हेतु एवं महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में विश्व महिला सम्मेलनों की शुरूआत हुई। संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में सन् 1975–95 के वर्षो में विश्व स्तर पर चार महिला सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जो इस प्रकार हैं–

प्रथम विश्व महिला समम्लन, 1975 (मेक्सिको)

प्रथम विश्व महिला सम्मेलन 19 जून से 2 जुलाई, 1975 तक मेक्सिको सिटी में आयोजन हुआ। सम्मेलन में अनेक देशों के सरकारी प्रतिनिधियों एवं गैर सरकारी संगठनों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 1975 को अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष और 1975 – 1985 को महिला दशक घोषित किया गया एवं महिलाओं के कल्याण के लिए प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई गई। इस सम्मेलन में महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने नीति – निर्धारण में महिलाओं को शामिल करने, स्त्री – शिक्षा,सामजिक एंव नागरिक अधिकार देने, लिंग भी भेदभाव मिटाने

आदि के लिए घोषणाएँ की गई। सम्मेलन का मुख्य आधार था कि महिलाऐं न केवल वैधानिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि घरेलू और पारिवारिक स्तर में भी पुरूषों के समान है। इसके तहत दो एजेंसियाँ बनाने का निर्णय लिया गया, जो इस प्रकार हैं–

1. स्त्रीयों की प्रगति हेतु अंतरराष्ट्रीय शोध एव प्रशिक्षण संस्थान महिलाओं के उत्थान हेतु सन् 1975 में महासभा द्वारा इसकी सिफारिश की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं से संबंधित समस्याओं पर शोध करना ।

2. महिलाओं हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास निधि इसकी स्थापना वर्ष 1976 में महासभा द्वारा की गई। इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं के विकास कार्यक्रम में भागीदार बनाना तथा उद्यमियों व उत्पादकों के रूप में महिलाओं की आर्थिक क्षमता को मजबूत करना था।

द्वितीय विश्व महिला समम्लेन, 1980 (कोपेनहेगन)

द्वितीय विश्व महिला सम्मेलन 14 जुलाई से 31 जुलाई, 1980 को कोपेनहेगन (डेनमार्क) में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में जो मुददे/लक्ष्य रखे गए वे इस प्रकार है–

- महिलाओं के लिए ऐसा आयेग बनाना, जिसका संम्बंध केवल महिलाओं से हो।
- सरकारी व गैर–सरकारी संगठनों के बीच सहयेाग स्थापित करना।
- समाचार माध्यमों द्वारा महिला समस्याओं एवं मुद्दों को प्रस्तुत करने के उपायों का अध्ययन करना एवं उनमें सुधार करना।
- राजनीतिक व निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं को कानूनी भागीदार बनाना।
- शिक्षा ओर प्रशिक्षण में सभी को समानता का दर्जा देना।

तृतीय विश्व महिला सम्मेलन, 1985 (नैरोबी)

तृतीय विश्व महिला सम्मेलन 15 जुलाई से 26 जुलाई तक नैराबी (कीनिया) में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिनिधिमंडलों ने'नैरोबी प्रगतिशील रणनीतियों का

प्रतिपादन किया। इस दस्तावेजो को संयुक्त राष्ट्र के 124 सदस्य देशों की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया। इस दस्तावेज में वर्ष 2000 तक महिलाओं की प्रगति की रूपरेखा दर्ज की गई।

चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन, 1995 (बीजिंग)

चतुर्थ विश्व महिला सम्मेलन 4 सितंबर से 15 सितंबर, 1995 तक बीजिंग (चीन) में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के प्रतिनिधियों एवं गैर–सरकारी संगठनों ने भाग लिया। इस समम्लेन की तैयारी की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा गठित महिलाओं के परिस्थिति आयोजको को दी गई। बीजिंग विश्व महिला सम्मेलन के मुख्य लक्ष्य इस प्रकार हैं–

महिलाओं को सामर्थ बनाने के लिए योजनाएं बनाना।

समाज में ऐसी स्थिति पैदा करना, जिसमे महिलाओं को आगे बढ़ने में प्रोत्साहन मिले। प्रतिनिधिमंडलों की प्रगतिशील रणनीतियों की उपलब्धियों का पुनरावलोकन करना।

- ऐसी कार्य योजना की रूपरेखा बनाना, जिससे नैराबी प्रगतिशील रणनीतियों को लागू किया जा सके।
- सम्मेलन में सरकारी प्रतिनिधयों ने बीजिंग घोषणा का अनुमोदन किया, जिसका उद्‌देश्य सार्वजनिक एवं निजी जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के योगदान में आनेवाली बाधाएँ समाप्त करना है। सम्मेलन में अगले 15 वर्षो में अंतरराष्ट्रीय समुदाय द्वारा किए जानेवाले 12 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की घोषणा भी की गई।

महिलाएँ एवं विश्व मानवाधिकार सम्मेलन विएना

संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित अब तक सबसे बडा अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार सम्मेलन (जिसमें 170 से अधिक देशों, 850 गैर–सरकारी संगठनों तथा पर्यवेक्षकों ने हिस्सा लिया) 25 जून 1993 को ऑस्ट्रिया की राजधानी विएना में संपन्न हुआ।

सम्मेलन में उन सभी मानवाधिकारों की पुर्नपुष्टि की गई, जो 1948 के सार्वभौमिक घोषण – पत्र में शामिल हैं। सम्मेलन के समापन – पत्र में ' विएना घोषणा ' पारित की गई इसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चों के मानवाधिकार सार्वभौमिक मानव अधिकारों का एक अन्नि और अविभाज्य अंग है। सम्मेलन में सरकारों, संस्थाओं , अंर्तसरकारी और गैर–सरकारी संगठनों से महिलाओं के मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन के प्रयासों को तेज करने का आहवान किया गया। सम्मेलन में एक नई व्यवस्था अपनाते हुए महिलाओं के विरूद्व हिंसा पर रिपोर्ट करने हेतु एक रिपोर्टकर्ता की नियुक्ति की गई।

भारत में महिलाओं के अधिकार

महिलाओं के अधिकारों की प्राप्ति के क्षेत्र में भारत की भी लंबे संघर्ष की कहानी है। सदियों से भारत में परदा प्रथा, दहेज प्रथा, सती प्रथा,अधिकार विहीनता, रूढिवादिता समाज का अंग रही थी: परंतु उन्नीसवीं शताब्दी में पश्चिमी शिक्षा के आगमन के फलस्वरूप महिला अधिकारों की मॉग उठाने पर जोर लगा। भारत में सन् 1915 से 1927 के बीच कई महिला संगठनों की स्थापना हुई तथा स्वतंत्रता के बाद सरकार द्वारा महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कई संवैधानिक व कानूनी कदम उठाए गए।

महिलाओं हेतु संवैधानिक प्रावधान

स्वतंत्रता के बाद महिलाओं को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से विकास के समान अवसर प्रदान करने के लिए संविधान में कुछ विशेष व्यवस्थाएँ की गई महिलाओं हेतु प्रावधान इस प्रकार हैं।–

संविधान के अनुच्छेद	**महिलाओं के लिए उपयोगी प्रावधान**
अनुच्छेद 14	इस अनुच्छेद द्वारा राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, चाहे वह महिला हो या पुरूष।
अनुच्छेद 15(3)	इसके अंतर्गत महिलाओं एवं बच्चों को कुछ विशेष

	सुविधाएँ प्रदान की गई हैं।
अनुच्छेद 16	लोक सेवाओं में बिना भेदभाव के अवसर की समानता।
अनुच्छेद 19	समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 23–24	नारी क्रय–विक्रय तथा बेगार प्रथा पर रोक।
अनुच्छेद 39 (घ)	इसके अंतर्गत स्त्री–पुरूष दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था।
अनुच्छेद 42	महिलाओं के लिए प्रसूति सहायता।
अनुच्छेद 47	लोक स्वास्थ्य में सुधार करना।
अनुच्छेद 51 के (ड)	प्रत्येक नागरिक का वक्त्वय होगा कि वह ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हैं
अनुच्छेद 243 घ (न)	पंचायत राज एवं नगरीय संस्थाओं में 73 वें 74 वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं हेतु आरक्षण की व्यवस्था।

महिलाओं से संबंधित प्रमुख अधिनियम

भारतीय संसद् द्वारा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए समय–समय पर महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियम पारित किए गऐ हैं, जिनमें प्रमुख इस प्राकर है–

क्रम	अधिनियमों का विवरण	उद्देश्य/प्रावधान
1.	बागान श्रम अधिनियम, 1951	महिला कर्मियों को अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए अवकाश दिया जाना।
2.	खान अधिनियम, 1952	खानों में महिलाओं के नियोजन पर रोक लागाना।
3.	विशेष विवाह अधिनियम, 1954	इसके अंतर्गत कोई महिला अपना धर्म

	बदले बिना किसी भी धर्म के व्यक्ति से विवाह कर सकती है।
4. हिंदू उतराधिकार अधिनियम, 1956	अधिनियम में प्रावधान किया गया है कि महिलाओं को भी पैतृक संपति में अधिकार दिया जाए।
5. अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, 1956	वेश्यागृह चलाने या परिसर को ? वेश्यागृह के रूप में प्रयुक्त करने देने पर दंड की व्यवस्था।
6. प्रसूति प्रसुविधा अनिधियम, 1961	कार्य दिवस के 80 दिन पूर्ण होने पर महिला कर्मियों को गर्भपात हेतु आवश्यक रूप से अवकाश तथा चिकित्सा की व्यवस्था।
7. ठेका श्रम अधिनियम, 1970	महिला श्रमिकों से बागानों में प्रातः 6 बजें से सायं 7 बजे के बीच 9 घंटे से अधिक काम कराने पर प्रतिबंध।
8. समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976	समान कार्य के लिए महिलाओं को भी पुरूषों के समान पारिश्रमिक की व्यवस्था।
9. बाल–विवाह निषेद अधिनियम, 1976	संविधान द्वारा निर्धारित कम उम्र की बालिकाओं के विवाह पर प्रतिबंध।
10. अंतरराज्यि प्रवासी कर्मकार अधिनियम, 1979	कुछ विशेष नियोजनों में महिलाओं के लिए अलग से शौचालय एवं स्नानघरों की व्यवस्था करना।

11. वेश्यावृत–निवारण अधिनियम निषेध 1986	महिलाओं को अनैतिक कार्यो में दुरूपयोग करने वालों पर प्रतिबंध।
12. स्त्री अशिष्ट निरूपण निषेध अधिनियम 1986	महिलाओं के अश्लील प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाना।
13. देहज निषेध संशोधन अधिनियम, 1986	विवाह में दहेज में लेने देने पर प्रतिबंध लगाना।
14. सती निषेध अधिनियम, 1987 1987	महिलाओं को पति की मृत्यु के बाद सती होने पर प्रतिबंध।
15. राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990	इस अधिनियम द्वारा वर्ष 1992 में महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई ।
16. 73 वाँ वाँ संशोधन अधिनियम, 1992	महिलाओं को त्रि–स्तरीय पंचायतों व नगरपालिकाओं में एक–तिहाई आरक्षण की व्यवस्था।
17. प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994	गर्भावस्था में बालिका भ्रूण की पहचान करने पर रोक लगाने की व्यवस्था।
18. घरेलू हिसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अधिनियम 2005	पति या साथ रहने वाले किसी भी पुरूष या उसके संबंधियों की हिंसा या प्रताड़ना से पत्नी या साथ रह रही किसी भी महिला को सुरक्षा प्रदान करना। अधिनियम के अंतर्गत ताने मारने से लेकर शारीरिक, यौन, भावनात्मक या अर्थिक शोषण कर धमकी देना भी अपराध माना गया।

भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत महिला अधिकारों की सुरक्षा हेतु व्यवस्था

भारतीय दंड सहिंता महिला की सुरक्षा, सम्मान गरिमा के साथ रहने के लिए यदि उसके साथ कोई दुष्कर्म करता है तो भारतीय दंड सहिंता उसे दंड दिलाने के लिए व्यवस्था करती है, जो इस प्रकार है–

भारतीय दंड संहिता	**घारा**	**अधिकतम सजा/दंड**
दहेज मृत्यु	304 बी	आजीवन कारावास
स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना	313	आजीवन कारावास
महिला की शालीनता भंग करने की मंशा से जबरदस्ती करना	354	2 वर्ष
अपहरण, भगाना या महिला को शादी के लिए मजबूर करना	366	10 वर्ष
नाबालिग लड़की को कब्जे में रखना	366ए	10 वर्ष
बलात्कार	376	2 से 10 वर्ष / उम्रकैद
पहली पत्नी के जीवित रहते दूसार विवाह करना	494	7 वर्ष
धोखाधड़ी से शादी की रस्म पूरी करना	496	7 वर्ष
की मंशा से अपशब्द कहना या अश्लील हरकतें करना	509	1 वर्ष

महिलाओं से संबंधित विकास योजनाएँ

भारत सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कई विकास कार्यक्रम एंव कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है ताकि उनके जीवन–स्तर में सुधार आ सके और विकास कार्यो में उनकी अधिक –से अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके। सरकार द्वारा महिलाओं से संबंधित चलाई जा रही प्रमुख योजनाऐं इस प्रकार है–

क्रम योजनाओं का नाम	**वर्ष**	**योजना का उद्देश्य**
1. ड्वाकरा योजना	1982	ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराते हुए उनके स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषाहार और शिशुओं की देखभाल करने जैसी मूलभूत सेवाएँ प्रदान करना।
2. स्टेप	1986–87	महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (स्टेप) को वर्ष 1986–87 में केंद्रीय सरकार की योजना के रूप में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य महिलाओं को अर्थक्षम समूहों में संगठित करने, उनके लिए बाजार संबंधी समर्थन सेवाओं एवं ऋण सुविधा तक पहुॅच का प्रबंध करके, रोजगार प्रदान करके पंरपरागत क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं पर प्रभाव डालना।
3. किशोरी बालिका योजना	1992	ग्रामीण गरीब परिवारों की बालिकाओं हेतु उचित स्वास्थ्य और शिक्षा की व्यवस्था करना।
4. महिला समृद्धि		ग्रामीण महिलाओं में बचत की आदत

योजना 1993	डालना और उन्हें सशक्त करना।
5. राष्ट्रीय महिला	इस कोष का गठन सोसाइटी पंजीकरण
कोष की	अधिनियम, 1860 के अंतर्गत एक
योजनाएँ 1993	सोसाइटी के रूप में किया गया। गरीबी
1. ऋण–योजना	रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं
2. ऋण– प्रोतसाहन योजना	में आर्थिक व सामजिक परिवर्तन लाने
3. स्व–सहायता समूह योजना	के लिए उत्पादन के लिए ऋण संबंधी
4. विपणन वित योजना	सुविधाऐं उपलब्ध कराकर उनकी आय बढ़ाना।
6. इंदिरा महिला	ग्रामीण और शहरी बस्ती की महिलाओं
योजना 1995	को आर्थिक रूप से स्वावलंबन प्रदान करना।
7. ग्रामीण महिला	ग्रामीण महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि
विकास योजना 1996	करना एवं उन्हें जागरूक करना।
8. महिला स्वशक्ति	महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के
योजना 1998	माध्यम से आर्थिक व समाजिक रूप से सशक्त बनाना।
9. स्त्री शक्ति	महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष
पुरस्कार योजना 2000	करनेवाली महिलाओं को राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित कर प्रोत्साहन देना। यह पुरस्कार विख्यात पाँच महिलाओं–देवी अहिल्याबाई, रानी लक्ष्मीबाई, जीजाबाई, रानी गाइडिन्ल्यू और कन्नगी ने नाम से दिया जाता है।
10. उज्जवला 2007	इस योजना में पाँच बातें शामिल हैं–रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, समाज की मुख्यधारा में लाना, स्वदेश भेजना, महिलाओं की खरीद–फरोख्त की रोकथाम तथा व्यावसायिक यौन शोषण की

शिकार महिलाओं के बचाव, पुनर्वास तथा उन्हें फिर से समाज की मुख्यधारा में शामिल करना।

राष्ट्रीय महिला आयोग

राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी, 1992 को राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 द्वारा की गई। आयोग में एक अध्यक्ष एवं पांच सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। जिनकी नियुक्ति केंद्रीय सरकार करती है। अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का होता है।

आयोग के कार्य

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10के अंतर्गत आयोग को निम्नलिखित कार्य सौंपे गए हैं–

1. महिलाओं के लिए संविधान ओर अन्य विधियों के अधीन उपबंधित रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण और परीक्षण करना उन रक्षापायों के कार्यान्वयन के बारे में प्रतिवर्ष केंद्रीय सरकार को रिपोर्ट देना।

2. ऐसी रिपोर्टो में महिलाओं की दशा सुधारने लिए संघ या किसी राज्य द्वारा उठाए गए रक्षोपायों के प्रीभावी कार्यान्वयन के लिए सिफारिश करना।

3. संविधान और अन्य विधियों के उपबंधो के अधीन महिलाओं से सम्बंधित अतिक्रमण के मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष उठाना।

   महिलाओं के विरूद्ध विभेद एवं अत्याचारों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन या अन्वेषण करना और बाधाओं का पता लगाना।

5. महिलाओं के सामजिक व आर्थिक विकास की योजना–प्रक्रिया में भाग लेना।

6. संघ और किसी राज्य के अधीन महिलाओं के विकास की प्रगति का मूल्यांकन करना।

7. किसी जेल, सुधार–महिलाओं की संस्था या अभिरक्षा के अन्य स्थानों का, जहाँ महिलाओं को बंदी के रूप में रखा जाता है, निरीक्षण करना या करवाना और कार्रवाई हेतु आवश्यक हो तो संबंधित प्राधिकारियों प्राधिकारियों से बातचीत करना।

8. कोई अन्य विषय, जिसें केंद्रीय सरकार निर्दिष्ट करे।

राष्ट्रीय महिला आयोग के अलावा कई राज्यों में भी महिला आयोग का गठन हो चुका है। इसके अलावा सरकार द्वारा महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय नीति के रूप में महिला सशक्तीकरण नीति –2001 बनाई गई है, जो महिलाओं के चहुँमुखी विकास का मार्ग प्रशस्त करती है।

महिला आरक्षण विधेयक

केंद्र सरकार ने मई 2008 में महिला आरक्षण विधेयक (108 वाँ संविधान संशोधक विधेयक) संसद् में प्रस्तुत किया। इस विधेयक में विधायिका में 15 वर्षो के लिए महिलाओं को आरक्षण प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। महिला आरक्षण विधेयक इससे पूर्व सन् 1996, 1998, 1999 में भी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, किंतु तीनों बार पारित होनें से पूर्व ही लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण यह स्वीकृत न हो सका।

अंततः कहा जा सकता है कि सभी तरह के अधिकार दिए जाने के बावजूद महलाओं पर शोषण एवं अत्याचार जारी हैं। आज महिलाआऐं अपने ही घर में सुरक्षित नहीं और अपनों द्वारा ही शोषण एवं अत्याचार की शिकार है। 21 वी शताब्दी महिलाओं की मानी जा रही है, किंतु यह बात तभी सच साबित होगी, जब महिलाओं के समाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक विकास का मार्ग प्रशस्त होगा और उनके अधिकारों का ग्राफ ऊँचा उठेगा। किंतु ऐसा तभी संभव है, जब पुरूषों की मानसिकता एवं दृष्टिकोण में बदलाव आएगा।

राज्य महिला आयोग

यहां मैं आपको बता दूं कि हर राज्य में अब महिला आयोग का गठन हो चुका है। महिलाऐं अपनी षिकायतें राज्य महिला आयोग को भेज सकती है। लेकिन अगर वहां समस्याओं का समाधान न हो तो राष्ट्रीय महिला आयोग से मदद ले सकती है। नीचे मैं राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राज्य महिला आयोग के पते फोन नम्बर व ईमेल एड्रेस दे रहा हूं।ये वक्त पडने पर आपके काफी काम आ सकते है।

- u'kuy deh'ku Qkj oeu]bfM;k
  4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
  नई दिल्ली – 110002
  फोन : 91–11–23237166
  फैक्स : 91–23236154
  कम्प्लैंट्स सैलः 91–11–23219750
  ई–मेल : ncw@nic.in

- ,u lhMCY;w ,uvkjvkbZ lsy
  नेशनल कमीशन फॉर वूमैन
  4 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग,
  नई दिल्ली – 110002
  फोन : 91–11–23237166
  फैक्स : 91–23236154
  कम्प्लैंट्स सैलः 91–11–23219750
  ई–मेल : ncw.nricell@gmail.com
  वेबसाईट : http://ncw.nic.in/

- LVsV deh'ku Qkj oeu] v:.kkpy
  से.सी , ईटानगर–791111
  फोन–0360–2214634–2290544
  ई–मेल : mapungtador@gmail.com

- vle LVsV deh'ku Qkj oeu
  बाल भवन , उजनबाजार,
  गुवाहाटी–781001
  फोन : 0361–2733392 (टेली–फैक्स)

- LVsV deh'ku Qkj oeu] fcgkj
  1 साउथ, बेली रोड़ पटना बिहार
  फोन : 0612–2203700
  वेबसाईट : http://gov.bih.nic.in/

- LVsV deh'ku Qkj oeu] xkok
  जुंटा हाउस नं. 3rd lift
  4 फ्लोर, पणजी ,गोवा

फोन : 0832–2421080
फैक्स : 0832–2232630

- LViV deh’ku Qkj oeu] vk/k in’k
  बुद्धभवन 2 फ्लोर, नियर बोट्स क्लब
  टैंक – बुंड हैदराबाद
  फोन : 040–27542017,2740414
  फैक्स : 040–27542017,2740414
  वेबसाईट : http:/wcdsc.ap.nic.in/apwomendept.html

- LViV deh’ku Qkj oeu] xtjkr
  द्वितीय तल, ब्लॉक नं. 6 डा0 जीवराज
  मेहता भवन , गांधी नगर
  फोन: 079–23251602

- LViV deh’ku Qkj oeu]fgekpy
  एच.पी. स्टेट कमीशन फारॅ वूमैन
  हिमरस भवन,हिमलैंड , षिमला–171001
  फोन : 0177–2622929
  वेबसाईट : http://himachal.nic.in

- LViV deh’ku Qkj oeu] gfj;k.kk
  ब्लॉक नं. 39–40
  सैक्टर–4 पंचकुला हरियाणा
  फोन : 0172–2584039
  वेबसाईट :http://wcdhry.gov.in/
  Hry Commission F.htm

- LViV deh’ku Qkj oeu] tEe ,M d’ehj
  (ए) 191–वानी हाउस, नियर पोस्ट ऑफिस,
  राज बाग श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर
  (मई–अक्टूबर)
  फोन:0194–2480250,2481834

- LViV deh’ku Qkj oeu]dukVd
  1 फ्लोर ,केएचबी बिल्डिंग
  क्यूवेरी भवन , के.जी. मार्ग,
  बैंगलोर–560009

- LViV deh’ku Qkj oeu] e/; in’k
  35, राजीव गांधी भवन खंड–2,
  1 फलोर, श्यामला हिल्स, भोपाल

फोन: 0755–2661802
फैक्स नं.: 0755–2661806

- LV V deh’ku Qkj oeu] djy
  डीपीआई जंक्शन, थाइकॉड,पी ओ.
  तिरूअनंतपुरम्–14
  फोन : 0471–2320509
  2322590,2337589,2320509
  वेब.:http:/ieralawomenscomission.gov.in/

- LV V deh’ku Qkj oeu]e?ky ;
  फोन: 0364–2224408
  मो0 : 09436105130
  वेबसाईट : http://mscw.gov.in/

- LV V deh’ku Qkj oeu] egkjk’V
  ग्रीहा निर्माण भवन महाडा बिल्डिंग,
  कालानगर, बानद्रा (ई.)
  मुंबई – 400051
  फोन: 0674–503879, 508266
  वेबसाईट : http://orissagov.nic.in

- LV V deh’ku Qkj oeu] mMhlk
  697 शहीद नगर,
  भुवनेश्वर–751000
  फोन : 0674–503879, 508266
  वेबसाईट: http://orissagov.nic.in

- LV V deh’ku Qkj oeu] fetkje
  पीटर स्ट्रीट खाटला एजावल,
  मिजोरम
  फोन: 2335991,2334997
- LV V deh’ku Qkj oeu]jkTkLFkku
  लाल कोठी, टोंक रोड़, जयपुर
  फोन: 0141–2779002,03,04

- LV V deh’ku Qkj oeu] itkc ,M pMhx<
  एससीओ नं.– 57,58,59
  सैक्टर–17–सी
  (टॉप फ्लोर इन फ्रंट आफॅ नीलम सिनेमा)
  वेबसाईट: http://punjabwomencommission.gov.in/

- LV V deh’ku Qkj oeu]rfeyukM
  100, अन्ना सलाई,

गूइंडी, चेन्नई – 6000032
फोन: 011–23379150
वेबसाईट: http://www.tn.gov.in

- oeu ,M pkbYM Moyi eV lk lk;Vh¼McY;w lhMh, l½
  17/2 नागेरकाइॅल रोड,
  न्नगूनेरी तमिलनाडु –627108
  फोन : 914635250398/250141
  Email. Wcdsnaguneri @yahoo.co.in

- oeu ,DVhfofVt Qkj okyUVh ,eikojeV cio
  क्रीस्ट चर्च के पास रापुर (पीओ)
  नेल्लौर सीडीडी (आंध्र प्रदेश)
  फोन : 0862186082

- u'kuy dfiVy VfjVjh vkQ fnYyh
  सी ब्लॉक , द्वितीय तल , विकास भवन,
  आई.पी. स्टेट, नई दिल्ली–110002
  फोन : 011–23379150
  वेबसाईट : http://cgwcd.nic.in/cgwomencomm.htm

- LVsV deh'ku Qkj oeu] ikaMpjh
  नं. 20,100 एफटी रोड,
  नाटेसन, पांडेचरी–605005
  फोन:0413–2205153

- LVsV deh'ku Qkj oeu] Nrhlx<
  नं. 2 विवेकानंद नगर नेशनल हाइवे कालोनी
  रायपुर छतीसगढ़
  फोन: +91–771–429232
  वेबसाईट : http://cgwcd.nic.in/cgwomencomm.htm

- LVsV deh'ku Qkj oeu] if'peh cxky
  द्वितीय तल 10 रेनी पार्क कोलकाता–700019
  फोन: 033–24745609
  24751324, 24745608
  वेबसाईट : http://www.wbcw.org/

- LVV deh’ku Qkj oeu] mrjk[k.M
  201 बी सैक्टर 4 डिफैंस कालोनी,
  देहरादून उतराखंण्ड
  फोन : 0135–2666500(टेली फैक्स)

- LVV deh’ku Qkj oeu] f=iqjk
  एच. जी. बसक रोड,
  मेलरमाथ अगरतला,
  त्रि.पुरा वेस्ट–799001
  फोनः 0381–2323355
  फैक्सः 03812322912
  वेबसाईटःhttp://tripurawomencomission.org/

- LVV deh’ku Qkj oeu] flfDde
  ओल्ड सेकेट्रिएट, बीलो सुपर मार्केट
  गवर्नमेंट आफॅ सिक्किम, गंगटोक
  फोनः03592–203051
- LVV deh’ku Qkj oeu] mRrj izns’k
  7 फलोर, इंदिरा भवन लखनउ
  फोनः 0522–2288353
  फैक्स : 0522–2288360